

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या 35/2022

उनवान

श्री. श्री. पी. लाल 510 बनाम श्री. श्री. मोना ब्लाक घरा
श्री. पी. लाल जार् श्री. मोना जार्
सि. देवली सि. देवली

धारा 111, 112 L.R.A. प्रा०पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
4/3/22	<p>बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>22/3/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">3 उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ</p>	
22-3-22	<p>पत्रावली पेश हुई। कपी अ. प्रार्थना पत्र उप. अ. प्रार्थना से.। लगापत्र 13 कि तामिल वाद तामिल प्राप्त। जो शा. प्रा.। अ. प्रार्थना से.। लगापत्र 12 9. 10. 2022 अ. प्रार्थना अनु.। अ. प्रार्थना गण को अ. प्रार्थना पत्रावली दि. 22/3/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">3 उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, शीलवाड़ा</p>	
29-3-22	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र उप. अ. प्रार्थना गण को उप. अ. प्रार्थना से. अ. प्रार्थना अ. प्रार्थना जाकर पत्रावली को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">3 उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, शीलवाड़ा</p>	

5.4.2022

पत्रावली पेशदुरी) वहीत घायी उप।

अपार्थिगण सं. 1.2.12 को विधिवत रूप
से आवाजे लगवाई गई परन्तु कोई उप
नही ऐसी रिती में प्रति सा। 1.2.12 के
बिना एक तरफ कार्यवाही के आदेश
पारित किया जाना उचित नहीं होता है।
अतः अपार्थिगण सं. 1.2.12 अंतर्गत
से उनके बिना एक तरफ कार्यवाही के
आदेश जमान किये जाते हैं। साथ ही
घायी का पत्र 111, 128 L-R में
बिना अपार्थिगण स्वीकार किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शांका
पत्रावली केसल कुमार होकर काबिल फता
है।

उपखण्ड अधिकारी
हरी